

संख्या फिन (पी0 आर0 )बी (7) 16/98 तारीख शिमला 6 दिसम्बर, 2005

### अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना तारीख 20 जनवरी, 1998 और 1 सितम्बर, 1998 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज (रिवाइज्ड पे ) रूल्ज, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज (रिवाइज्ड पे )द्वितीय संशोधन नियम, 2005 है ।

(ii) ये नियम 21 मई, 2005 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

संकेप्ट शडियूल में जोडना 2 हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज (रिवाइज्ड पे) रूल्ज, 1998 के संकेप्ट शडियूल में शीर्षक "एग्जीकल्वर" से उपर निम्नलिखित प्रविष्टी अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

### ADVOCATE GENERAL

1 Law Officer 6400-10640 7000-10980 The revised scale shall be admissible w.e.f. 21<sup>st</sup> May, 2005".


आदेश द्वारा,

योगेश खन्ना

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)  
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या फिन (पी0 आर0 )बी (7) 16/98 तारीख शिमला 6 दिसम्बर, 2005  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. महालेखाकार हिमाचल प्रदेश शिमला-3 को 20 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित ।
2. वरिष्ठ उप महालेखा कार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश शिमला-3 को 20 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित ।
3. महाधिवक्ता, हि0प्र0, शिमला-2
4. प्रधान सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
5. निदेशक, (कोष एवं लेखा संगठन) शिमला-9
6. परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-9
7. कोषाधिकारी, (राजधानी कोष) हिमाचल प्रदेश शिमला-2
8. कार्मिक विभाग (नियुक्ति-111), हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
9. गार्ड फाईल 100 अतिरिक्त प्रतियाँ ।



(पूर्णिमा चौहान)

अतिरिक्त सचिव (वित्त-वेतन परिशोधन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।